न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 156 / 2021 अपील / चित्तौड़गढ़ (GCMS 2021/167)
पंजीयन दिनांक– 10.03.2021
निर्णय दिनांक– 15.09.2021

उदी पिता नेता तेली, निवासी सेमलिया, तहसील एवं जिला चित्तौड़गढ़ के बजायः–

1. श्री नन्दकिशोर पिता गंगाराम तेली, निवासी सेमलिया, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

–अपीलांट

बनाम

1. भूमिधारी तहसीलदार, चित्तौड़गढ़, जिला चित्तौड़गढ़।
2. सरकार जरिये जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेंट

उपस्थितिः–

1. श्री अब्दुल हनीफ – अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक – अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2

अपील अन्तर्गत धारा–76 भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ के
प्रकरण संख्या 04 / 2011 निर्णय दिनांक 06.03.2012

निर्णय

दिनांक 15.09.2021

अपीलांट द्वारा यह द्वितीय अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ के प्रकरण संख्या 04 / 2011 निर्णय दिनांक 06.03.2012 के विरूद्ध दिनांक 19.06.2012 को न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ को प्रार्थना पत्र दफा 5 मयाद अधिनियम के साथ पेश की गई है। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक

17.10.2019 के क्रम में पत्रावली स्थानान्तरित होकर न्यायालय संभागीय आयुक्त में दिनांक 15.01.2020 को दर्ज की गई। न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के आदेश क्रमांक 449–50 दिनांक 28.01.2021 के क्रम में जिला चित्तौड़गढ़ का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय में स्थानांतरित किया जाने से न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर से स्थानांतरित होकर दिनांक 10.03.2021 को दर्ज की गई।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश कर निवेदन किया कि तहसील चित्तौड़गढ़ के पटवार सर्कल सेमलिया के आराजी नम्बर 1295 रकबा 0.32 हैक्टेयर पर पुरान कब्जा होकर नियमित रूप से काश्त की जाकर उपयोग कर रहे है। अपीलांट के पुराने कब्जे के संबंध में एवं उक्त तथ्यों पर गौर नही कर तहसीलदार द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही बैदखल करने का आदेश दिया जो विधि विपरीत है। उपरोक्त क्रम में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज कर अपने प्रकरण संख्या 04/2011 निर्णय दिनांक 06.03.2012 से अपील अपीलांट खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ का निर्णय दिनांक 21.09.2010 को यथावत रखे जाने से अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा यह द्वितीय अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 06.03.2012 से निम्नानुसार निर्णय पारित किया है:– ***"हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। ग्राम सेमलिया के आराजी नम्बर 1295 रकबा 0.32 हैक्टेयर पर अतिक्रमण किया है, नियमन के संबंध में तहसीलदार द्वारा जारी नोटिस के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के राजस्व अभिलेख खसरा गिरदावरी की नकलें प्रस्तुत नही की है जिससे प्रावधानों के तहत पुराना कब्जा व काश्त साबित नही होता है, प्रकरण नियमन योग्य नही पाये जाने से अधीनस्थ न्यायालय ने सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर देकर निर्णय पारित किया है जो विधि सम्मत होकर अपील अपीलार्थी सारहीन व खारिज योग्य है। अपील***

अपीलार्थीगण खारिज की जाती है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.09.2010 यथावत रखा जाता"

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री अब्दुल हनीफ उपस्थित व रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 की ओर से श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक उपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 08.09.2021 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट्स ने अपनी बहस में बताया कि तहसील, चित्तौड़गढ़ के ग्राम सेमलिया के आराजी नम्बर 1295 रकबा 0.32 हैक्टेयर पर पुराना कब्जा होकर नियमित रूप से काश्त की जाकर उपयोग कर रहे है। अपीलांट के पुराने कब्जे के संबंध में एवं उक्त तथ्यों पर गौर नही कर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही आदेश पारित किया जो विधि विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधि–सम्मत कार्यवाही नही कर अपीलांट को अपने बचाव का अवसर प्रदान नहीं किया है। पारित निर्णय एकतरफा है प्रश्नगत भूमि चरागाह नही होकर भूमि चरागाह के उपयोग में आ रही है। अपीलांट का कब्जा काफी पुराना है। कब्जा छोटी पट्टी में नियमों के तहत नियमन योग्य था। यदि अपीलांट को बेदखल कर दिया तो अपीलांट को अपूर्णीय क्षति होगी। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा अपीलांट को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर ही नही दिया था। प्रथम अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील पर कोई ध्यान नही दिया तथा कब्जे संबंधी दस्तावेजात प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं दिया तथा बेदखली के जो नोटिस अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट ने प्रस्तुत किये उनसे भी कब्जा अपीलांट का साबित होता है। जिससे प्रथम अपीलीय न्यायालय नियमन हेतु सक्षम न्यायालय होते हुए भी नियमन का पात्र नही मान अपील खारिज करने में भारी

अवैधानिकता की है। अतः साथ ही अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 व 2 की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ द्वारा दिनांक 06.03.2012 से पारित निर्णय नियमानुसार होकर उचित है। अतः उक्त अपील प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने बाबत् निवेदन किया गया।

प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय का निर्णय दिनांक 06.03.2012 को अपीलाण्ट के अधिवक्ता की उपस्थिति है, जिसके लिए निर्धारित तिथि अपील प्रस्तुत करने के दिनांक 05.05.2012 होती है। अपीलाण्ट द्वारा यह द्वितीय अपील प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय दिनांक से 60 दिवस की अवधि दिनांक 05.05.2012 होती है परन्तु अपीलाण्ट द्वारा द्वितीय अपील दिनांक 19.06.2012 को पेश की है एवं इस हेतु अपीलाण्ट द्वारा दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन एवं अखण्डित शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया एवं तद्नुसार आवेदन व अखण्डित शपथ–पत्र, न्यायहित व गुणावगुण पर निर्णय के दृष्टिगत मियाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

प्रकरण में अब हम अपील के अपील मेमों में उठाये गये विभिन्न अपील उजरात एवं लिखित अपील मेमों के उजरात पर विचार करना उचित समझते हैं। इससे पूर्व हम अपीलाण्ट द्वारा दिये गये आवेदन आदेश 41 नियम 27 जा.दी. के आवेदन पर भी निर्णय करना उचित समझते हैं। अपीलाण्ट द्वारा उक्त आवेदन के साथ कुल 18 दस्तावेजात जिसमें सेटलमेंट की पानड़ी व विभिन्न रसीदें व दस्तावेज कुल 18 दस्तावेजात का विवरण करते हुए उन्हें प्रस्तुत किया है। उक्त सभी दस्तावेज न तो प्रमाणित प्रतिलिपि है, न ही मूल दस्तावेज है, तद्नुसार उक्त दस्तावेजों के **Genuinity** (सत्यता) को अपनी स्तर पर नहीं माना जा सकता एवं तद्नुसार उक्त दस्तावेजों की प्रमाणिकता नहीं होने से उक्त आवेदन अस्वीकार किया जाता है। प्रकरण में अतिक्रमी उदी के स्थान पर न्यायालय स्वयं के द्वारा उसके पुत्र नन्दकिशोर को सूचित कर पक्षकार संस्थित किया

गया। अपीलाण्ट ने जो प्रमुख उज्र लिया है, वह यह है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार ने किसी स्वतंत्र साक्षी के बयान नहीं लिये। अपीलाण्ट को भी सुनवाई का नोटिस दिये बिना, जबाब एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का मौका नहीं दिया व केवल मात्र पटवारी हल्का पटवारी के बयानों के आधार पर बिना जिरह के विश्वास कर बेदखली का आदेश दे दिया। अपीलाण्ट के इस तर्क से हम सहमत नहीं है। तहसीलदार द्वारा पूर्ण सुनवाई के पश्चात् निर्णय किया गया है तथा इस कथन से यह कदापि प्रमाणित नहीं होता कि अपीलाण्ट का उक्त भूमि पर नाजायज कब्जा नहीं है अथवा वह कब्जा वैद्य है। अपीलाण्ट का अन्य उज्र यह है कि उक्त भूमि पर अपीलाण्ट का 30–40 वर्ष पुराना कब्जा है जो नियमन योग्य है। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अथवा इस न्यायालय में भी ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है जिससे यह साबित हो कि उसका 30–40 वर्षों से निरन्तर कब्जा हो तथा वह नियमन की पात्रता रखता हो, तद्नुसार अपीलाण्ट का यह उज्र भी समायत योग्य नहीं है। अपीलाण्ट का अन्य उज्र यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने जो बेदखली के नोटिस अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किये, उस पर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई गौर नहीं किया गया। हमारे द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जो दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं, उसमें भी कोई प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये हैं, अतएवं अधीनस्थ न्यायालय का उन पर विचारण किये जाने का कोई आधार ही नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय दिया गया है, उसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आख्यापक विवेचन के साथ अपीलाण्ट को अतिक्रमी मानते हुए उसकी बेदखली के आदेश एवं अपीलीय न्यायालय द्वारा उसकी उपस्थिति में की गयी, जिसमें हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते। जहां तक विवादित भूमि के नियमन का प्रश्न है, अपीलाण्ट द्वारा ऐसे कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे वह इस भूमि के नियमन की पात्रता रखता हो अथवा उसके द्वारा उक्त भूमि नियमन का कोई आवेदन किया गया हो। इससे इतर अपीलाण्ट द्वारा दौराने बहस एक आवेदन भी प्रस्तुत कर नगर परिषद, चित्तौड़गढ़ एवं नगर विकास न्यास, चित्तौड़गढ को भी

पक्षकार बनाये जाने का आवेदन प्रस्तुत किया है एवं उक्त आवेदन में अपीलाण्ट स्वयं द्वारा यह वर्णित किया गया है कि यह बिलानाम भूमि राज्य सरकार द्वारा नगर परिषद, चित्तौड़गढ़ को आवंटित की गयी जो बाद में नगर विकास न्यास, चित्तौड़गढ़ के नाम हस्तान्तरित कर दी गयी, अतः उन्हें पक्षकार बनाया जावें। इस प्रकरण में अब नगर परिषद एवं नगर विकास न्यास को पक्षकार बनाये जाने का कोई औचित्य ही नहीं है तथा इससे इतर भी यह पुष्टि होती है कि यह भूमि को नगरीय निकाय के क्षेत्र में है जिसे कृषि भूमि के रूप में आवंटित/नियमित नहीं किया जा सकता।

उपरोक्त समग्र विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर